Case No - 85/2020
UIMS No:- 2020/00292

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/7/21	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली के विरुद्ध पेश की गई है। इस न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेंट को अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जाने पर उन्होंने अपने पत्रांक/रा.लो.सू.अ./184/2020/1277 दिनांक 26/8/2020 के जरिये अवगत करवाया कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना जरिये उनके पत्रांक/रा.लो.सू.अ./184/2020/1277 दि. 26/8/20 के उपलब्ध करवा दी गई है। इस पर अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस क्र. 753 दिनांक 5/5/21 व 933 दिनांक 21/6/21 को जरिये रजि. डाक द्वारा भिजवाया गया। इसके बावजूद अपीलांट के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से यह माना जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी है अतः हस्तगत अपील में इस स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:40:26 IST
Reason: SelfAttested